सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 103 दर्ज तिथिः—18.04.2023

1. बाबूलाल पुत्र छोगाराम
2. जगमालराम पुत्र छोगाराम
3. पूनमाराम पुत्र छोगाराम
4. हिरकनराम पुत्र छोगाराम
   जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. मंगला पुत्र भींया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी
2. सिणगारी देवी पत्नी बींजाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा तहसील सांचौर
3. सोना पुत्र भींया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी
4. हीरो देवी पत्नी चेतनराम
5. हीरों देवी पत्नी पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा तहसील सांचौर
6. शांति देवी पत्नी हिरकनराम
   जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रोशनलाल चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री प्रकाश विश्नोई
श्री हरीश चौधरी
श्री जगदीश विश्नोई
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 15.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का संक्षिप्त वृत्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 304/1/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378/2/7.9318 है0 मौजा जम्भेश्वर नगर पटवार हलका नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हेकर जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादीगण संख्या 03—05 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 का पृथक से खाता विभाजन करते हुए प्रतिवादी संख्या 03—05 के हिस्से का खाता भी पृथक किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 06 का मुताबिक जमाबंदी खाता पृथक किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03—05 द्वारा दिए गए जवाब से सहमति प्रदान करते हुए खाता विभाजन का निवेदन किया।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

    1. आया वादी संयुक्त आराजी पर मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

    .....वादी

    2. आया वादी संयुक्त आराजी पर खाता विभाजन के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

    .....वादी

    3. आया प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी पर मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा परिशिष्ट 'बी' को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

    .....प्रतिवादी संख्या 03—05

    4. आया प्रतिवादी संख्या 06 संयुक्त आराजी पर मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

    ..... प्रतिवादी संख्या 06

    5. आया प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त आराजी पर मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

    ..... प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested

6. अन्य दादरसी

..............उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी खाता संख्या 20 संवत् 2073—2076 मौजा जंभेश्वर नगर	प्रदर्श—पी01
जमाबंदी खाता संख्या 21 संवत् 2073—2076 मौजा जंभेश्वर नगर	प्रदर्श—पी02
नक्शा खसरा संख्या 304 / 1 मौजा जंभेश्वर नगर	प्रदर्श—पी03
नक्शा खसरा संख्या 378 / 2 मौजा जंभेश्वर नगर	प्रदर्श—पी04

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
हीरकन पुत्र छोगाराम	विश्नोई	जंभेश्वर नगर	पी0डब्ल्यू—1
जगमाल पुत्र छोगाराम	विश्नोई	जंभेश्वर नगर	पी0डब्ल्यू—2

6. प्रकरण में वादी साक्ष्य से प्रतिवादी अधिवक्ता को जिरह करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जिरह नही किये जाने पर जिरह एकतरफा। तत्पश्चात पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में निर्धारित गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता को साक्ष्य करवाने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य नहीं करवाए जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद किये गए।

7. प्रकरण में उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस वादीगण का खाता भूमि की गुणवता और कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए बाई मिटस बाई बाउण्ड पृथक किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.05.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1439 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा लिखित सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1439 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on*	प्रकरण में दिनांक 19.08.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका [illegible]र की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2083—2092 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2083—2092 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

9. प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 304/1/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378/2/7.9318 है0 मौजा जम्भेश्वर नगर पटवार हलका नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

10. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there is no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में प्रार्थी भागीरथराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :—

- प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 304/10.4571 है0 मौजा जंभेश्वर नगर में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना संपूर्ण हिस्सा 46/645 प्रार्थी भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामलानी को जरिये पंजीबद्ध बयनामा संख्या 20250109200268 1 दिनांक 08.09.2025 को कर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया है।
- वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 377/0.0243 है0 व 378/2/7.9318 है0 मौजा जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना संपूर्ण हिस्सा 2/15 प्रार्थी भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामलानी को जरिये पंजीबद्ध बयनामा संख्या 20250109200268 2 दिनांक 08.09.2025 को कर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया है।
- इस प्रकार प्रार्थी सदभावी क्रेता होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे या प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी खरीददार प्रार्थी भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामलानी के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

14. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—1 नियम—10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी दौराने दावा प्राथमिक डिक्री जारी होने तथा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने के पश्चात खरीद की है। यहा उल्लेखनीय है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दौराने दावा या प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद वादग्रस्त आराजी के अंतरण होने पर खरीददार का हक व हित मूल दावा में विक्रेता के हक व हित पर आधारित होता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी दौराने दावा प्राथमिक डिक्री जारी होने तथा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने के पश्चात खरीदने के कारण मूल दावा में मूल खातेदार विक्रेता को कुर्रेजात रिपोर्ट में प्राप्त हिस्सा पर ही खरीदकर्ता प्रार्थी का हिस्सा व विभाजन माना जाना उचित है।

15. इस प्रकार हाल सह काश्तकार व खरीदकर्ता प्रार्थी बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 304/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378/2/7.9318 है0 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

जम्भेश्वर नगर पटवार हलका नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी दौराने दावा प्राथमिक डिक्री जारी होने तथा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने के पश्चात खरीदने के कारण मूल दावा में मूल खातेदार विक्रेता को कुर्रेजात रिपोर्ट में प्राप्त हिस्सा पर ही खरीदकर्ता प्रार्थी का हिस्सा व विभाजन माना जाकर खसरा संख्या 304/1/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378/2/7.9318 है0 मौजा जम्भेश्वर नगर में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी को प्रार्थी भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामलानी के नाम से पढ़ी जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अलमदरामद किया जावे।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हिरकनराम पुत्र छोगाराम शांतिदेवी पत्नी हिरकनराम जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	948 / 1453 505 / 1453	जंभेश्वर नगर	304 / 1	2.3523 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.3523 है0					
बाबूलाल पुत्र छोगाराम जगमालराम पुत्र छोगाराम पूनमाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	47395 / 136952 21081 / 68476 47395 / 136952	जंभेश्वर नगर	378 / 2 377	4.4095 0.0243	बा0दो0 गै0मु0
कुल किता 02 रकबा 4.4338 है0					
मंगला पुत्र भीया जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार (विक्रेता) **भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर (क्रेता)**	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1	1.8066 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.8066 है0					
सोना पुत्र भीया जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.3942 है0 1.0608 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4550 है0					
हीरों देवी पत्नी पांचाराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.3942 है0 1.0608 है0	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 02 रकबा 2.4550 है0					
सिणगारी देवी पत्नी बींजाराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.5548 है0 0.9005 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4553 है0					
हीरो देवी पत्नी चेतनराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.9550 है0 0.5002 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4552 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/103 दर्ज तिथिः–18.04.2023

1. बाबूलाल पुत्र छोगाराम
2. जगमालराम पुत्र छोगाराम
3. पूनमाराम पुत्र छोगाराम
4. हिरकनराम पुत्र छोगाराम
   जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. मंगला पुत्र भींया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी
2. सिणगारी देवी पत्नी बींजाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा तहसील सांचौर
3. सोना पुत्र भींया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी
4. हीरो देवी पत्नी चेतनराम
5. हीरों देवी पत्नी पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा तहसील सांचौर
6. शांति देवी पत्नी हिरकनराम
   जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।

................असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रोशनलाल चौधरी
प्रतिवादीगणः–श्री प्रकाश विश्नोई
श्री हरीश चौधरी
श्री जगदीश विश्नोई
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 30[illegible]1/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378[illegible]7.9318 है0 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

जम्भेश्वर नगर पटवार हलका नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी दौराने दावा प्राथमिक डिक्री जारी होने तथा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने के पश्चात खरीदने के कारण मूल दावा में मूल खातेदार विक्रेता को कुर्रेजात रिपोर्ट में प्राप्त हिस्सा पर ही खरीदकर्ता प्रार्थी का हिस्सा व विभाजन माना जाकर खसरा संख्या 304/1/10.4571 है0, 377/0.0243 है0, 378/2/7.9318 है0 मौजा जम्भेश्वर नगर में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी को प्रार्थी भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर तहसील गुड़ामलानी के नाम से पढ़ी जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अलमदरामद किया जावे।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हिरकनराम पुत्र छोगाराम शांतिदेवी पत्नी हिरकनराम जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	948 / 1453 505 / 1453	जंभेश्वर नगर	304 / 1	2.3523 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.3523 है0					
बाबूलाल पुत्र छोगाराम जगमालराम पुत्र छोगाराम पूनमाराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	47395 / 136952 21081 / 68476 47395 / 136952	जंभेश्वर नगर	378 / 2 377	4.4095 0.0243	बा0दो0 गै0मु0
कुल किता 02 रकबा 4.4338 है0					
मंगला पुत्र भीया जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार (विक्रेता) **भागीरथराम, चन्द्रप्रकाश पिसरान हिरकनराम जाति विश्नाई निवासी जंभेश्वर नगर (क्रेता)**	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1	1.8066 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.8066 है0					
सोना पुत्र भीया जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.3942 है0 1.0608 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4550 है0					
हीरों देवी पत्नी पांचाराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304 / 1 378 / 2	1.3942 है0 1.0608 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4550 है0					

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:44 IST
Reason: SelfAttested

सिणगारी देवी पत्नी बींजाराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304/1 378/2	1.5548 है0 0.9005 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4553 है0					
हीरो देवी पत्नी चेतनराम जाति विश्नोई सा0 मीरपुरा खातेदार	पूर्ण	जंभेश्वर नगर	304/1 378/2	1.9550 है0 0.5002 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.4552 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested